आम नागरिकों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना आयोग का उद्देश्यः गोयल

न्यूज सर्विस/ नवज्योति,सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य, पूर्व आईपीएस अधिकारी महेश गोयल ने बुधवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित आयोग आपके द्वार कार्यक्रम में आयोग को प्राप्त परिवादों पर विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा करए अपेक्षित तथ्यात्मक रिपोट्र्स प्राप्त कर अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु उचित दिशा निर्देश जारी किए एवं परिवादों की सुनवाई के साथ-साथ जनसुनवाई की। आयोग के माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य मानव अधिकार आयोग का जिला मुख्यालय पर कैंप कोर्ट आयोजित करने का उद्देश्य आम नागरिकों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना, मानव अधिकार हनन से संबंधित प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करना है। जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों के उचित एवं निर्धारित समावधि में निस्तारण के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं।

कैंप कोर्ट में जिला कलक्टर कार्यालयए सवाई माधोपुर के 8 परिवादों के संबंध में जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला व संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई तथा परिवादों के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई। वहीं वन विभाग के दो प्रकरणों पर डीएफओ से चर्चा कर रिपोर्ट तलब की गई। दो परिवाद जिला शिक्षा अधिकारी के, दो परिवाद नगर परिषद, दो परिवाद चिकित्सा विभाग के तथा एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिवाद पर चर्चा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई।

आयोग के माननीय सदस्य ने डीके बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से संबंधित बिन्दुओं को आगामी दो सप्ताह में जिले के सभी थानों पर अंकित करवाकर पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर हर्षवर्धन अगरवाला को जांच कर रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय सवाई माधोपुर के 27 परिवादों पर चर्चा कर पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर को उचित दिशा निर्देश देकर तथ्यात्मक रिपोट्र्स तलब की गई।

बैठक में राज्य मानवाधिकार आयोग से निजी सचिव गणपत शर्मा सहित जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ सूरज सिंह नेगी, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना, अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी नवरत्न कोली, एसडीएम सवाई माधोपुर कपिल शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ धर्मसिंह मीना, नगर परिषद आयुक्त सवाई माधोपुर होती लाल मीना, नगर परिषद् आयुक्त गंगापुर सिटी पंकज मीना, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मीना आर्य सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई कर सुनी समस्याएं राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने कलक्ट्रेट सभागार में बैठक के पश्चात जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं के समाधान के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारी को प्रदान किए।

'आयोग आपके द्वार' कार्यक्रम में बोले राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल...

'आमजन को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना आयोग का उद्देश्य'

महानगर संवाददाता

सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य, पूर्व आईपीएस अधिकारी महेश गोयल ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित 'आयोग आपके द्वार' कार्यक्रम में आयोग को प्राप्त परिवादों पर विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा कर, अपेक्षित तथ्यात्मक रिपोर्ट्स प्राप्त कर अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी किए एवं परिवादों की सुनवाई के साथ-साथ जनसुनवाई की। आयोग के सदस्य ने कहा कि राज्य मानव अधिकार आयोग का जिला मुख्यालय पर कैंप कोर्ट आयोजित करने का उद्देश्य आम नागरिकों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना, मानव अधिकार हनन से संबंधित प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करना है। जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों के उचित एवं निर्धारित समावधि में निस्तारण के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं।

कैंप कोर्ट में जिला कलेक्टर कार्यालय, सवाई माधोपुर के 8 परिवादों के संबंध में कलेक्टर सुरेश कुमार ओला व संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई तथा परिवादों के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई। वहीं वन विभाग के दो प्रकरणों पर डीएफओ से चर्चा कर रिपोर्ट तलब की। दो परिवाद जिला शिक्षा अधिकारी के, दो परिवाद नगर परिषद्, दो परिवाद चिकित्सा विभाग के तथा एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिवाद पर चर्चा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई।

आयोग के सदस्य ने डीके बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों से संबंधित बिन्दुओं को आगामी दो सप्ताह में जिले के सभी थानों पर अंकित करवाकर पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर हर्षवर्धन अगरवाला को जांच कर रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय सवाई माधोपुर के 27 परिवादों पर चर्चा कर पुलिस अधीक्षक को उचित दिशा-निर्देश देकर तथ्यात्मक रिपोर्ट्स तलब की गई।

बैठक में राज्य मानवाधिकार आयोग से निजी सचिव गणपत शर्मा सहित जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी, जिला परिषद् सीईओ अभिषेक खन्ना, एडीएम गंगापुर सिटी नवरत्न कोली, एसडीएम सवाई माधोपुर कपिल शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना, नगर परिषद आयुक्त सवाई माधोपुर होतीलाल मीना, नगर परिषद् आयुक्त गंगापुर सिटी पंकज मीना, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मीना आर्य सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पत्रिका

जिला मुख्यालयों पर कैंप कोर्ट व जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित

मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना आयोग का उद्देश्य

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सवाईमाधोपुर. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग सदस्यव पूर्व आईपीएस अधिकारी महेश गोयल ने बुधवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोग आपके द्वार कार्यक्रम में आयोग को प्राप्त परिवादों पर विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा कर अपेक्षित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान परिवादों की सुनवाई के साथ-साथ जनसुनवाई की। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना, मानव अधिकार हनन से संबंधित प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करना है। जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों के उचित एवं निर्धारित समावधि में निस्तारण के संबंध में निर्देश दिए।

परिवादों के संबंध में रिपोर्ट की तलब

कैंप कोर्ट में जिला कलक्टर कार्यालय के 8 परिवादों के संबंध में जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला

सवाईमाधोपुर. जिला कलक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई करते राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल।

व संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर परिवादों के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई। वहीं वन विभाग के दो प्रकरणों पर डीएफओ से चर्चा कर रिपोर्ट तलब की गई। दो दो परिवाद जिला शिक्षा अधिकारी, नगर परिषद्, चिकित्सा विभाग तथा एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर चर्चा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई। आयोग के सदस्य ने डीके बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस में उच्चतम न्यायालय से दिए गए दिशा-निर्देशों से संबंधित बिन्दुओं को आगामी दो सप्ताह में जिले के सभी थानों पर अंकित करवाकर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला को जांच कर रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 27 परिवादों पर चर्चा कर पुलिस अधीक्षक को उचित दिशा-निर्देश देकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की।

इस दौरान राज्य मानवाधिकार आयोग से निजी सचिव गणपत शर्मा सहित जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना, अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी नवरत्न कोली, एसडीएम कपिल शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना, नगर परिषद आयुक्त होती लाल मीना, नगर परिषद् आयुक्त गंगापुर सिटी पंकज मीना, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मीना आर्य मौजूद थे।

Date: 11/05/2023, Edition: Sawaimadhopur, Page: 11
Source : https://epaper.patrika.com/

दैनिक भास्कर सवाई माधोपुर 11-05-2023

जिला मुख्यालयों पर कैंप कोर्ट व जनसुनवाई कार्यक्रम कर नागरिकों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना ही आयोग का उद्देश्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक, विभिन्न मामलों पर हुई चर्चा

नसं | सवाई माधोपुर

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य एवं पूर्व आईपीएस महेश गोयल ने बुधवार को जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित आयोग आपके द्वार कार्यक्रम में आयोग को प्राप्त परिवादों पर विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा कर अपेक्षित तथ्यात्मक रिपोर्ट्स प्राप्त की। साथ ही अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अलावा परिवादों की सुनवाई के साथ जनसुनवाई भी की।

सवाई माधोपुर। अधिकारियों को निर्देश देते राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य।

आयोग के सदस्य महेश गोयल ने कहा कि राज्य मानव अधिकार आयोग का जिला मुख्यालय पर कैंप कोर्ट आयोजित करने का उद्देश्य आम नागरिकों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना, मानव अधिकार हनन से संबंधित प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करना है। जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों के उचित एवं निर्धारित समावधि में निस्तारण के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। कैंप कोर्ट में जिला कलेक्टर कार्यालय, सवाई माधोपुर के 8 परिवादों के संबंध में कलेक्टर सुरेश कुमार ओला व संबंधित अधिकारियों से चर्चा की तथा परिवादों के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई। वन विभाग के दो प्रकरणों पर डीएफओ से चर्चा कर रिपोर्ट तलब की गई। दो परिवाद जिला शिक्षा अधिकारी के, दो परिवाद नगर परिषद, दो परिवाद चिकित्सा विभाग तथा एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिवाद पर चर्चा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई।

आयोग के सदस्य ने डीके बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों से संबंधित बिन्दुओं को आगामी दो सप्ताह में जिले के सभी थानों पर अंकित करवाकर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला को जांच कर रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 27 परिवादों पर चर्चा कर पुलिस अधीक्षक को उचित दिशा-निर्देश देकर तथ्यात्मक रिपोर्ट्स तलब की गई।

बैठक में राज्य मानवाधिकार आयोग से निजी सचिव गणपत शर्मा सहित जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी नवरत्न कोली, एसडीएम सवाई माधोपुर कपिल शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.धर्मसिंह मीना, नगर परिषद आयुक्त होती लाल मीना, नगर परिषद् आयुक्त गंगापुर सिटी पंकज मीना, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मीना आर्य सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के पश्चात जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं के समाधान के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारी को प्रदान किए।